उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4
संख्या-10/2022/515/52-4-2022-E-1650671
लखनऊ : दिनांक 14/10/2022

शुद्धि-पत्र

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-09/2022/376/52-4-2022-2 आ०(बजट)/2018-E-1650671, दिनांक 07/10/2022 के प्रस्तर-3 (7), (8) एवं (9) में अंकित 'सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ' के स्थान पर **'सचिव, उ०प्र० अल्पसंख्यक आयोग, लखनऊ'** पढ़ा व समझा जाये।

2- उक्त शासनादेश संख्या-09/2022/376/52-4-2022-2आ०(बजट)/2018-E-1650671, दिनांक 07/10/2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश/शर्तें यथावत् रहेंगीं।

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-10/2022/**515(1)/52-4-2022, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, लखनऊ।
2- महालेखाकर, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
4- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
6- नोडल अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु0-1 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ।
8- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्धैंदंकमौण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in